

बिहार सरकार
परिवहन विभाग
पत्रांक-06/EV (प्रोत्साहन राशि)-15-10/2024 402

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक- 19/11/2025

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल 2,47,500/- (दो लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) रु० मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय उपबन्ध (रूपया में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुनरीक्षित बजटीय (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4	5
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपन्न कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	13.00 करोड़	13.00 करोड़	2,47,500/-

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1040 दिनांक-08.09.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं०-06/चार्लिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि० पर मद सं०-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,
3 18/11/25
राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक-06/EV (प्रोत्साहन राशि)-15-10/2024

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल 2,47,500/- (दो लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) रु० मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय उपबंध (रूपया में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुनरीक्षित बजटीय (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4	5
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	13.00 करोड़	13.00 करोड़	2,47,500/-

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1040 दिनांक-08.09.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं०-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि० पर मद सं०-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

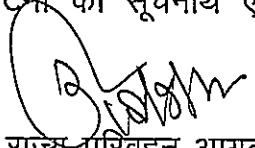
ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 402

पटना, दिनांक :- 19/9/2025

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, अररिया / जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया / जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया / आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

बिहार सरकार

परिवहन विभाग

पत्रांक-06/EV (प्रोत्साहन राशि)-15-10/2024

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक-

विषय :- राज्य योजना अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में परिवहन विभाग, बिहार, पटना द्वारा संचालित "बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति, 2023" हेतु कुल 2,47,500/- (दो लाख सैतालीस हजार पाँच सौ) रु० मात्र निकासी की स्वीकृति।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

इस राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग सं०-47 के अन्तर्गत राज्य स्कीम से निम्न रूपेण की जाएगी :-

क्र०	योजना शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजटीय उपबंध (रूपया में)	वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए पुनरीक्षित बजटीय (रूपया में)	इस आदेश द्वारा स्वीकृत राशि (रूपया में)
1	2	3	4	5
1	मुख्यशीर्ष-3055-सड़क परिवहन-उप मुख्यशीर्ष-00-लघुशीर्ष-199-अन्य गैर सरकारी संस्थाओं को सहायता-उपशीर्ष-0103 बिहार इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत प्रोत्साहन विपत्र कोड-47-3055001990103 विस्तृत शीर्ष वस्तुगत शीर्ष विस्तृत शीर्ष-33-सब्सिडी एवं वस्तुगत शीर्ष-01- सब्सिडी	13.00 करोड़	13.00 करोड़	2,47,500/-

- इस राशि को जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया को आवंटित किया जायेगा। जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा यह राशि CFMS के माध्यम से लाभुक के खाते में अंतरित की जायेगी।
- जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के पत्रांक-1040 दिनांक-08.09.2025 के आलोक में संबंधित लाभुकों को इस राशि का भुगतान जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया के द्वारा किया जायेगा।
- इस राशि का आवंटन आदेश अलग से निर्गत किया जायेगा।
- वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार-पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- वित्त विभागीय पत्रांक-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में, इस योजना पर सक्षम स्वीकृति प्राधिकार (मंत्रिपरिषद्) का अनुमोदन संचिका सं०-06/चार्जिंग स्टेशन-09-29/2021 के पृष्ठ-83/टि० पर मद सं०-01 के रूप में दिनांक-05.12.2023 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

ह०/-

राज्य परिवहन आयुक्त,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि :- जिला पदाधिकारी, अररिया/जिला परिवहन पदाधिकारी, अररिया/जिला कोषागार पदाधिकारी, अररिया/आई0 टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक :- 402

पटना, दिनांक :- 19/9/2025

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

राज्य परिवहन आयुक्त,

बिहार, पटना।